

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234263
SG-DL-E-17032022-234263

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 547
No. 180]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943	[N. C. T. D. No. 547

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 16 मार्च, 2022

संख्या 17/2021-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(160)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/171.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/375, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में,—

- उपवाक्य (i) में, शब्दों "और मोटर साइकिल" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीक ", मोटर साइकिल, ओमनिबस या अन्य मोटर यान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- उपवाक्य (iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट्स आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा "रेस्तरां सेवा" की आपूर्ति ।"

2. स्पष्टीकरण में,—

- (1) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों "और "मोटर साईकिल" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है" के स्थान पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों "मोटर साईकिल," "मोटरयान" और "ओमनिबस" का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"(ग) "विशिष्ट परिसर" से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है, जो ऐसे 'होटल की व्यवस्था' की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो ।"

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव— I (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे 30 जून, 2017 को सं. फा. 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस- VI/375 दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 6 सितम्बर, 2017, सं. फा. 03(27)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस- VI/588, दिनांक 6 सितम्बर, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 16th March, 2022

No. 17/2021-State Tax (Rate)

No. F. 3(160)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/171.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-I), No.17/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375 dated the 30th June, 2017, namely:-

1. In the notification,-

(i) in clause (i), for the words "and motor cycle;," the words " , motor cycle, omnibus or any other motor vehicle;" shall be substituted;

(ii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises."

2. In the said notification, in Explanation, -

(i) in item (b), for the words, brackets, numbers and figures "and "motor cycle" shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).", the words, brackets, numbers and figures," , motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988)." shall be substituted;

(ii) after item (b), the following shall be inserted namely, -

"(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 17/2017 –State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375 dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 23/2017 - State Tax (Rate), dated the 6th September, 2017 *vide* number F3(27)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/588, dated the 6th September, 2017.